भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का कार्यालय, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

नामान्तरण अपील वाद संख्या :– 05/2009–10

आदेश

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर
28.6.18	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद अपीलार्थी श्री बजरंग प्रसाद, पिता स्व0 राम जनम राम, निवासी गोईलकेरा, पो0+थाना गोईलकेरा, जिला प0 सिंहभूम द्वारा दिनांक 01.09.2009 को अंचल अधिकारी, गोईलकेरा द्वारा नामान्तरण वाद सं0–33/2009–10, दिनांक 15.09.2009 को श्री प्रधान जोंको, पिता स्व0 सुदर्शन जोंको, निवासी गोईलकेरा, पो0+थाना गोईलकेरा के पक्ष में स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय में आवेदक के आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए नामान्तरण अपील वाद संख्या 05/2009–10 प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
गोईलकेरा बाजार	531	66	282	0.07 ए0

संक्षिप्त इतिहास निम्नवत् है :– निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंचल अधिकारी, गोईलकेरा ने राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर नामान्तरण वाद को श्री प्रधान जोंको, पिता स्व0 सुदर्शन जोंको, निवासी गोईलकेरा, पो0+थाना गोईलकेरा के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी, गोईलकेरा द्वारा अभिलेख में स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि हाल सर्वे खतियान में विक्रेता गोविन्द प्रसाद पाड़िया एवं प्रदीप कुमार पाड़िया के नाम से दर्ज है। विक्रेता का नाम पंजी–II में रैयत के रूप में दर्ज है एवं विक्रेता का उस पर दखल कब्जा है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख को अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी श्री प्रधान जोंको, पिता स्व0 सुदर्शन जोंको, निवासी गोईलकेरा, पो0+थाना गोईलकेरा का प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण विवादरहित दखल कब्जा है। साथ ही प्रतिपक्षकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।

अतः कागजातों एवं विपक्षी के अधिवक्ता के बहस से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि रैयती व विपक्षी के दखल में है। इसलिए अपिलार्थी के आवेदन पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

आदेश की प्रति पक्षकारों एवं अंचल अधिकारी, गोईलकेरा को उपलब्ध करावें । आदेश को Online करें ।

लेखापित

28.6.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर

28.6.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर ।